न्यायालय अपर कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी – श्री ओ.पी.बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 12/2014

अपीलांट		रेस्पोडेंटस
देवी पुत्री स्व. भीयाराम पत्नी भंवरलाल निवासी लूखु तहसील धोरीमना पीहर का पता गांव बाटाडू तहसील बायतु	बनाम	1. खेताराम पुत्र स्व. भीयाराम 2. नरेन्द्र पुत्र स्व. मोहनलाल 3. बजरंग पुत्र स्व. मोहनलाल जाति गौड ब्राहमण निवासी बाटाडू तहसील बायतु 4. मांगी पुत्री स्व.मोहनलाल पत्नी भागीरथ निवासी बाड़मेर पीहर का पता गांव बाटाडू तहसील बायतु 5. कमला पुत्री स्व. मोहनलाल पत्नी ताराचन्द निवासी गोटी नाशिक महाराष्ट्र पीहर का पता गांव बाटाडू तहसील बायतु 6. तहसीलदार बायतु

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजसव अधिनियम विरूद्व आदेश दिनांक 25.8.1998 जो तहसीलदार बायतु द्वारा मौजा बाटाडू के नामान्तरकरण संख्या 2 पर पारित किया गया।

उपस्थित– 1. श्री जसवन्त बोहरा अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री सोहनलाल दवे राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 6 की ओर से।
3. रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 अनुपस्थित।

निर्णय — दिनांक 27.5.2016

1. अपीलांट ने यह अपील मौजा नया बाटाडू के नामान्तरकरण संख्या 02 पर तहसीलदार बायतु द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.8.1998 के विरूद्व धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है।
2. संक्षेप में अपीलांट की अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट व रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 05 भीयाराम के पुत्र, पौत्र एवं पौत्रीया है। स्व. भीयाराम के दो पुत्र खेताराम व मोहनलाल है

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

एवं एक पुत्री अपीलांट स्वयं है। भीयाराम की संयुक्त खातेदारी की कब्जा काश्त भूमि खसरा नंबर 613/1 रकबा 12 बीघा, खसरा नंबर 613/3 रकबा 118 बीघा 16 विस्वा, खसरा नंबर 615/1 रकबा 51 बीघा, खसरा नंबर 615/3 रकबा 5 बीघा 16 विस्वा, खसरा नंबर 522 रकबा 85 बीघा 6 बिस्वा एवं खसरा नंबर 523 रकबा 77 बीघा 4 विस्वा कुल रकबा 450 बीघा 2 बिस्वा ग्राम नया बाटाडू में आई हुई है। जिसमें से अपीलान्ट के पिता भीयाराम पुत्र राजूराम का 1/4 हिस्सा है। अपीलांट के पिता भीयाराम का दिनांक 23.6.1996 को देहान्त होने पर पटवारी हल्का द्वारा वादग्रस्त भूमि जिसमें स्व. भीयाराम के हिस्से की भूमि शामिल है, का नामान्तरकरण संख्या 02 भर कर तहसीलदार बायतु के समक्ष पेश किया। तहसीलदार बायतु ने अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 02 दिनांक 25.8.98 को स्वीकृत किया। इस आदेश से शुब्ध होकर अपीलांट ने यह अपील धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है। अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश का पूर्व में ज्ञान नहीं होने से जानकारी की तिथि से अपील को अंदर म्याद सुभार करने का निवेदन किया। अपीलांटस ने अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र भी पेश किया।

3. हमने अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोंडेंट को सम्मन जारी किये। अपीलाधीन रेकर्ड तलब किया। पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजस्व कोर्ट केम्प बायतु में पेश हुई। जिसके लिए पक्षकारान एवं अभिभाषक को नोटिस की तामीली करा दी गई है। अपीलांट उपस्थित हुए। रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 05 अनुपस्थित रहे। रेस्पोडेंटस संख्या 06 की ओर से श्री संदीप अरोड़ा तहसीलदार बायतु उपस्थित रहे।

4. हमने दोनों पक्षो को सुना अपीलाधीन रिकार्ड एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार बायतु द्वारा मौजा नया बाटाडू के नामान्तरकरण संख्या 02 स्वीकृत दिनांक 25.8.1998 के विरूद्व पेश की है। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता हैं कि मौजा नया बाटाडू के खसरा नंबर 613/1 रकबा 12 बीघा, खसरा नंबर 613/3 रकबा 118 बीघा 16 विस्वा, खसरा नंबर 615/1 रकबा 51 बीघा, खसरा नंबर 615/3 रकबा 5 बीघा 16 विस्वा, खसरा नंबर 522 रकबा 85 बीघा 6 बिस्वा एवं खसरा नंबर 523 रकबा 77 बीघा 4 विस्वा कुल रकबा 450 बीघा 2 बिस्वा स्व. भीयाराम की संयुक्त खातेदारी भूमि है। अपीलांट स्व. भीयाराम की पुत्री है एवं भीयाराम की भूमि में अपीलांट का हिस्सा बनता है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर गोर नहीं कर अपीलांट का नाम दर्ज नहीं किया। अतः तहसीलदार बायतु द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 02 को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। लिहाजा

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण होने एवं विधिनुकूल नहीं होने से निरस्त योग्य है।

5. अपीलांट नें अपील के साथ देरी से प्रस्तुत करने बाबत् धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र पेश किया है, जो अपील के तथ्यों को देखते हुए स्वीकार किया जाकर अपील अंदर म्याद सुमार की जाती है।

6. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.08.1998 अपास्त किया जाता है और प्रकरण तहसीलदार बायतु को इस निर्देश के साथ प्रति–प्रेषित किया जाता हैं कि मृतक भीयाराम के विधिक उत्तराधिकारियों की जांच कर रेकर्ड पर साक्ष्य सबूत लेकर मामले में नये सिरे से नामान्तरकरण पारित करने की नियमानुसार कार्यवाही करें।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राज.)

(ओ.पी.बिश्नाई)
अपर कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर, बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

आदेश खुले न्यायालय कोर्ट केम्प बायतु में आज दिनांक 27.5.2016 को सुनाया गया।

अपरकलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर, बाड़मेर
(ए.डी.एम.)